संख्या- 05/2022/150/77-3-2022-02 बजट/19

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज/मैनपुरी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-03 लखनऊः दिनांकः 28 फरवरी, 2022

विषयः आगरा-लखनऊ (ग्रीन-फील्ड) परियोजना हेतु धनराशि रू0 3.24 करोड़ भूमि अधिग्रहण/क्रय के सापेक्ष कृषकों के भुगतान हेतु जनपद मैनपुरी को धनराशि स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-8700/यूपीडा/17/618/टीसी दिनांक 31.01.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करेें।

2. उल्लेखनीय है कि विषयांकित परियोजना हेतु जिलाधिकारी, कन्नौज को रू0 561.93 करोड़ की धनराशि भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु आवंटित की गयी थी, के सापेक्ष रू0 547.03 करोड़ की धनराशि का व्यय किया जा चुका है तथा आवश्यकता न होने के कारण रू0 14,90,31,546/- अप्रयुक्त है।

3. यूपीडा द्वारा जिलाधिकारी, कन्नौज के पत्र दिनांक 05.02.2022 के अनुसार वापसी हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 14.90 में से रू0 3.24 करोड़ जिलाधिकारी, मैनपुरी को उनके द्वारा सूचित की गयी आवश्यकता के अनुसार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय हेतु दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु जिलाधिकारी, कन्नौज अपने डिपाजिट खाते में जमा अवशेष अप्रयुक्त धनराशि रू0 14.90 करोड़ में से रू0 3.24 करोड़ जिलाधिकारी, मैनपुरी को उनके डिपाजिट खाते में जमा कराने का कष्ट करें। जिलाधिकारी, मैनपुरी परियोजना हेतु भूमि क्रय के लिए केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से करेंगे तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा तथा शासन को यथासमय प्रेषित करेंगे। यूपीडा का यह दायित्व होगा कि वह आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को भेजते समय व्यय की गयी धनराशि से अपने को पूर्णरूप से सन्तुष्ट कर लेंगे।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-05/2022/150(1)/77-3-2022, तद्दिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा पर्यटन भवन, गोमतीनगर लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कन्नौज/मैनपुरी ।
5. निदेशक, वित्त सं ाख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।